रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

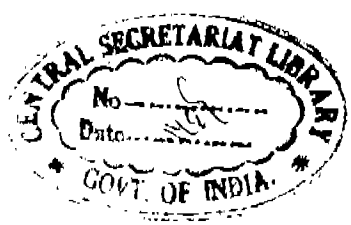


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 160] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 13, 1996/कार्तिक 22, 1918
No. 160] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 13, 1996/KARTIKA 22, 1918

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1996

आ. अ. 276 (अ).—यतः गुजरात राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य, श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला, के पद त्याग देने के कारण, जिनकी पदावधि 2 अप्रैल, 2000 को सम्मिलित करते हुए उस तारीख तक थी, उक्त सदन में एक स्थान रिक्त हो गया है।

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग गुजरात राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वह ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाएं गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुरूप एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं. 100/रा. स.-गुजरात/1/96 (1)]

आदेश से,

बाबू राम, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 1996

O.N. 276(E).—Whereas, a vacancy has occurred in the Council of States due to the resignation of Shri Kanaksinh Mohansinh Mangrola, an elected member of that House from the State of Gujarat whose term of office was upto and including 2nd April, 2000.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 147 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Gujarat to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder a person to fill the vacancy so caused.

[No. 100/CS-GJ/1/96(1)]

By Order,

BABU RAM, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1996

आ. अ. 277(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 39 के उपबन्धों के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं. 100/रा. स.-गुजरात/1/96(1) तारीख 13 नवम्बर, 1996 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में :—

(क)	नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	20 नवम्बर, 1996 (बुधवार)
(ख)	नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख	21 नवम्बर, 1996 (बृहस्पतिवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अन्तिम तारीख	23 नवम्बर, 1996 (शनिवार)
(घ)	वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	30 नवम्बर, 1996 (शनिवार)
(ङ)	वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन पूरा कर लिया जाएगा	3 दिसम्बर, 1996 (मंगलवार)

एतद्द्वारा नियत करता है।

[सं. 100/रा. स.-गुजरात/1/96(2)]

आदेश से,

बाबू राम, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 1996

O.N. 277(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its Notification No. 100/CS-GJ/1/96(1) dated 13th November, 1996 :—

(a) the 20th November, 1996 (Wednesday), as the last date for making nominations;

(b) the 21st November, 1996 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 23rd November, 1996 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 30th November, 1996 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 3rd December, 1996 (Tuesday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-GJ/1/96(2)]

By Order,

BABU RAM, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1996

आ. अ. 278 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, अपनी अधिसूचना संख्या 100/रा. स.-गुजरात/1/96(1) तारीख 13 नवम्बर, 1996 के अनुसरण में राज्य सभा से होने वाले निर्वाचन के लिए 10.00 बजे (पूर्वाह्न) से 2.00 बजे (अपराह्न) तक का समय, उस समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा।

[सं. 100/रा. स.-गुजरात/1/96 (3)]

आदेश से,

बाबू राम, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 1996

O.N. 278(E).—In exercise of the powers conferred by section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India, hereby fixes the hours from 10.00 A.M. to 2.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if

necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its Notification No. 100/CS-GJ/1/96(1) dated 13th November, 1996.

[No. 100/CS-GJ/1/96(3)]
By Order,
BABU RAM, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1996

आ. अ. 279 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, गुजरात राज्य के परामर्श से तारीख 13 नवम्बर, 1996 को अपनी अधिसूचना संख्या 100/रा. स.-गुजरात/1/96(1) के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचनों के लिए सचिव, गुजरात विधान मंडल, सचिवालय, गांधीनगर को रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा नामित करता है।

[सं. 100/रा. स.-गुजरात/1/96 (4)]

आदेश से,
बाबू राम, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 1996

O.N. 279(E).—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India, in consultation with the Government of Gujarat, hereby nominates Secretary, Gujarat Legislature Secretariat, Gandhinagar, to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its Notification No. 100/CS-GJ/1/96(1) dated 13th November, 1996.

[No. 100/CS-GJ/1/96(4)]
By Order,
BABU RAM, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1996

आ. अ. 280 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, तारीख 13 नवम्बर, 1996 को अपनी अधिसूचना संख्या 100/रा. स.-गुजरात/1/96(1) के अनुसरण में होने वाले राज्य सभा के निर्वाचनों के लिए रिटर्निंग आफिसर को, उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए अपर सचिव, गुजरात विधान मंडल, सचिवालय, गांधीनगर को सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

[सं. 100/रा. स.-गुजरात/1/96 (5)]

आदेश से,
बाबू राम, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 1996

O.N. 280(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India, hereby appoints Additional Secretary, Gujarat Legislature Secretariat, Gandhinagar, as Assistant Returning Officer, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its Notification No. 100/CS-GJ/1/96(1) dated 13th November, 1996 in the performance of his functions.

[No. 100/CS-GJ/1/96(5)]
By Order,
BABU RAM, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996